2018/00156

निर्णय न्यायालय श्री मनोज कुमार वर्मा, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट मलारनाडूंगर जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
22 / 2018	21.6.2018	24/12/19

1. सत्यनारायण पुत्र रामचन्द्रा, ब्राह्मण निवासी अनियाला तह0 मलारनाडूंगर
2. राधामोहन पुत्र रामचन्द्रा, ब्राह्मण निवासी अनियाला तह0 मलारनाडूंगर
3. रूकमणी बेवा रामचन्द्रा, ब्राह्मण निवासी अनियाला तह0 मलारनाडूंगर

——प्रार्थीगण

बनाम

1. कंवरपाल पुत्र कन्हैया, मीना निवासी अनियाला तहसील मलारनाडूंगर
2. रामरूप पुत्र कंवरपाल, मीना निवासी अनियाला तहसील मलारनाडूंगर
3. बैंक आफ बडौदा शाखा मलारनाचौड
4. लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलारनाडूंगर ——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :— श्री संजय शर्मा, एडवोकेट, प्रार्थीगण की ओर से
श्री शंभुलाल मीना, एडवोकेट, अप्रार्थी नं0 1, 2 की ओर से

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी जमाबंदी सं0 2070 से 2073 के खाता संख्या 215 में ख0नं0 699 रकबा 0.12 है0 ग्राम अनियाला में स्थित है जिससे किसी अन्य व्यक्ति का कोई वास्ता नहीं है। प्रार्थीगण की उक्त आराजी के पास ही अप्रार्थी सं0 1 की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख0नं0 690 रकबा 0.18 है0 स्थित है। इन खेतों की आपस में मेड मिली हुई है जो ग्राम अनियाला में आबादी के पास ही स्थित है जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने बिना इजाजत रहवास के लिए पुख्ता मकान बना रखा हैं। अप्रार्थी संख्या 1 ने जब अपनी आराजी में पुख्ता मकान बनवाया था तब तक प्रार्थीगण को कोई आपत्ती व एतराज नहीं था परन्तु अप्रार्थीगण अपने उक्त मकान के पास लैट्रिन व बाथरूम बनाने पर आमादा है जो प्रार्थीगण की आराजी में आ रहे हैं। प्रार्थीगण ने इसके लिए अप्रार्थीगण को मना किया तो वे नहीं माने एवं कहा हम तो निर्माण करके रहेंगे। इस पर प्रार्थीगण ने ग्राम अनियाला के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को एकत्रित कर दिनांक 19.6.2018 को समझाने के लिए बुलाया तो नतीजा शून्य निकला। इस बाबत् प्रार्थीगण ने सरपंच ग्राम पंचायत तारनपुर से भी कहा तो अप्रार्थीगण ने सरपंच की भी नहीं सुनी तब प्रार्थीगण ने यह मुकदमा किया है। अप्रार्थीगण

(मनोज कुमार वर्मा)
उप जिला कलेक्टर
मलारना डूंगर

Scanned by CamScanner

को प्रार्थीगण की भूमि ख0नं0 699 रकबा 0.12 है0 पर किसी भी प्रकार का कोई कच्चा या पक्का निर्माण करने का अधिकार नहीं है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में है। यदि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की उक्त आराजी में निर्माण करने में कामयाब हो गए तो प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी भरपाई होना किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला वादपत्र पाबंद फरमाया जावे कि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की आराजी ख0नं0 699 रकबा 0.12 है0 में होकर ख0नं0 690 रकबा 0.18 है0 से बढकर किसी भी प्रकार का कच्चा या पक्का निर्माण न तो स्वयं करें और न ही अपने किसी परिवारजन, एजेन्ट या नौकर से करावें तथा उसकी किस्म में किसी भी प्रकार की तब्दीली नहीं करें तथा अप्रार्थीगण अपनी आराजी ख0नं0 690 रकबा 0.18 है0 के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 3, 4 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए अतः अप्रार्थी सं0 3, 4 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

अप्रार्थी संख्या 1, 2 ने अपने जबाब मय काउन्टर टी0आई0 में अंकित किया है कि ख0नं0 690 रकबा 0.18 है0 अप्रार्थी सं0 1 की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि रही है जो पैत्रक आराजी है। वर्तमान में उक्त भूमि आबादी के नजदीक होने की वजह से रहवास के काम आ रही है। ख0नं0 699 रकबा 0.12 है0 प्रार्थी की भूमि है जो अप्रार्थी की भूमि से मुताबिक नक्शा ट्रेस मिली हुई है। अप्रार्थी की भूमि ख0नं0 690 में अप्रार्थी का मकान बना हुआ है। अप्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि मकान के पास में होकर अप्रार्थीगण के अन्य खसरा नम्बरान पर पानी का धोरा जा रहा था । अभी नहर नहीं आने पर अप्रार्थीगण ने बन्द कर दिया। सिंचाई पाइप के माध्यम से करते आ रहे हैं। अप्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की बची हुई भूमि पर ही लैट्रिन का निर्माण करवा रहे हैं। प्रार्थीगण के मन में बदयान्ति आ गई है और अप्रार्थीगण की भूमि हडपने की गरज से उन्होने यह मुकदमा पेश किया है। प्रार्थीगण उनकी खातेदारी भूमि की आड में अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के कुछ हिस्से पर अतिक्रमण करने पर आमादा है। अप्रार्थीगण को अपनी ही खातेदारी भूमि पर पुख्ता निर्माण करने से रोक रहे हैं। झूंठा मुकदमा कर धमका रहे हैं। दिनांक 11.7.2018 को अप्रार्थीगण ने प्रार्थी से कहा कि हमारे

मनोज कुमार
उप जिला कलेक्टर
मुलासना डूंगर

Scanned by CamScanner

विरूद्ध झूंठा मुकदमा क्यों किया है। तब प्रार्थीगण गाली गलोच कर अप्रार्थीगण की मारपीट पर उतारू हो गए। अतः जबाब मय काउन्टर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थीगण की काउन्टर अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाई जाकर प्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे अप्रार्थीगण की कब्जा काश्त की भूमि के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के समर्थन में प्रार्थीगण ने फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2070 से 2073 खाता संख्या 215, 29, फोटोकोपी नकल हाल नक्शा ट्रेस प्रस्तुत की है।

जबाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय काउन्टर क्लेम के समर्थन में अप्रार्थीगण ने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है।

बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थीगण के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि भूमि ख0नं0 699 प्रार्थीगण की भूमि है एवं इसके लगती हुई ही भूमि ख0नं0 690 अप्रार्थीगण की भूमि है। अप्रार्थीगण ने अपनी भूमि में बिना किसी इजाजत के पक्का मकान बना रखा है एवं अब प्रार्थीगण की भूमि ख0नं0 699 में लैट्रिन का निर्माण करने को तत्पर हैं। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे प्रार्थीगण की भूमि में कोई निर्माण कार्य नहीं करें।

अप्रार्थीगण के विद्वान वकील ने अपने जबाब व काउन्टर क्लेम के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि प्रार्थीगण उनकी खातेदारी भूमि की आड में अप्रार्थीगण की भूमि पर अतिक्रमण करना चाहते हैं जबकि ख0नं0 690 अप्रार्थी सं0 1 की खातेदारी की भूमि है जो आबादी के पास स्थित है। इसमें अप्रार्थीगण का मकान बना हुआ है। अब अप्रार्थीगण अपनी जमीन में लैट्रिन का निर्माण करना चाहते हैं। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण की भूमि पर अतिक्रमण करना चाहते हैं जिसके लिए उन्हें पाबंद फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। दोनों ही पक्षकारों के कथनानुसार एवं पत्रावली पर उपलब्ध नकल नक्शा ट्रेस की छायाप्रति के अनुसार भूमि ख0नं0 699 एवं 690 की मेड आपस में मिली हुई है। दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर उनकी भूमि के कब्जे में दखलंदाजी का आरोप लगा रहे हैं । दोनों ही पक्ष भूमि के रेकार्डेड खातेदार

(मनोज कुमार
उप जिला कलेक्टर
मुलासर डूंगर)

Scanned by CamScanner

काश्तकार हैं ऐसी स्थिति में हम दोनों ही पक्षों को भूमि ख0नं0 690 व 699 की मौके की स्थिति यथावत बनाए रखने हेतु पाबंद करना उचित समझते हैं।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम इस प्रकार निर्णित किए जाते हैं कि उभयपक्षकारान वादग्रस्त भूमि ख0नं0 699 रकबा 0.12 है0, ख0नं0 690 रकबा 0.18 है0 ग्राम अनियाला की मौके की स्थिति यथावत बनाए रखें एवं सक्षम स्वीकृति के बिना भूमि की किस्म परिवर्तित नहीं करें।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 24/12/19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/12/19

(मनोज कुमार वर्मा)
उप जिला कलेक्टर
मलारनाडूगर

मनोज कुमार वर्मा
उप जिला कलेक्टर
मलारना डूंगर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Verma
Date: 2020.06.19 14:00:16 IST
Reason: SelfAttested
Location: